न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 03/2018

अनवान :

दलीपचन्द पुत्र श्री श्योदयाल पुत्र सेडूराम जाति जाट ज्याणी निवासी डोभी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– **प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्त करवाने।

अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956

उपस्थिति : वकील श्री रामकुमार कस्वां : **प्रार्थी**

निर्णय **दिनांकः** 6.7.18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डोभी के मु0नं0 70 की कुल किता 17 की 4.270 है0 व मु0नं0 78 के कुल किता 8 की 1.872 है0 मु0नं0 93 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 135 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 136 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 141 के कुल किता 16 की 3.744 है0 मु0नं0 142 के कुल किता 21 की 5.160 है0 बिरानी प्रथम खातेदारी, कुल किता 75 कुल रकबा 18.341 है0 स्थित थी जो प्रार्थी के पिता श्योदयाल के स्वर्गवास के पश्चात् उसके पांच पुत्रों क्रमश : रणवीरसिंह, भीमसिंह, महेन्द्रसिंह, दलीपचन्द, चतरसिंह पिसरान श्योदयाल व रामदेवी पत्नि स्वर्गयी श्योदयाल व संतो पुत्री श्योदयाल के नाम से विरासतन नामांतरकरण के दर्ज होने के चलते प्रार्थी दलीपचन्द का नाम लिपीकीय भूलवंश दीपचन्द लिखा गया व वही राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात जमाबन्दी में रिपीट होते चले गये।

राजस्व रिकार्ड में दीपचन्द दर्ज होने व अन्य दस्तावेजात में दलीपचन्द होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर किसी प्रकार का ऋण आदि स्वीकृत नहीं करा पा रहा है व ना ही अपनी खातेदारी कृषि भूमि में अन्य वित्तीय संस्था से मिलने वाली सहायता यथा सिंचाई व डिग्गी निर्माण नहीं करवा पा रहा है व ना ही भूमि विक्रय कर सकता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने रिपोर्ट पेश की।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम दलीपचन्द है, राजस्व अधिकारियों ने लिपीकीय भूलवंश दीपचन्द दर्ज कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थी का नाम दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण

में प्रार्थी ने ग्राम डोबी के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जो चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति वोटर आई कार्ड, चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति अंकतालिका, चित्रप्रति बैंक एटीएम कार्ड, चित्रप्रति पेनकार्ड, चित्रप्रति सेवा निवृत कार्ड पेश किये है उनमें प्रार्थी का नाम दलीपचन्द अंकित है एवं सरपंच ग्राम पचायत डोभी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पेश किया है उसमें दीपचन्द व दलीपचन्द एक ही व्यक्ति होने की पुष्टि की है व तहसीलदार भादरा, पटवारी हल्का, भू–अभिलेख निरीक्षक ने भी अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित बताया है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम डोभी के मु0नं0 70 की कुल किता 17 की 4.270 है0 व मु0नं0 78 के कुल किता 8 की 1.872 है0 मु0नं0 93 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 135 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 136 के कुल किता 4 की 1.012 है0 मु0नं0 141 के कुल किता 16 की 3.744 है0 मु0नं0 142 के कुल किता 21 की 5.160 है0 बिरानी प्रथम खातेदारी, कुल किता 75 कुल रकबा 18.341 है0 में प्रार्थी का नाम जहां दीपचन्द पुत्र श्योदयाल अंकित है के स्थान पर दलीपचन्द उर्फ दीपचन्द पुत्र श्योदयाल दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6.7.16 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ